(1·6) (8)

Annexure-23(A)

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

No. Memo /F.R.A. Dated 30-11-2015

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of shri Dependra Kumar Chaudhari (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 30-11-2015 at 2:50 PM Champawat in which the application claiming rights in Gahtora to Jharsirtoli Village in Tashil Pati. Area measuring 0.770 hectares & for muck disposal 0.200 hectares Total 0.970 hectares for the **Construction of Gahtora to Jharsirtoli Motor Road. in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of Pati tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

जिलाधिकारी

(D.K. Chaudhari) I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

(7)

1.6

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No. Memo / FRA

Date 30-11-2015

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.770 hectares & for muck disposal 0.200 hectares Total 0.970 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Construction of Gahtora to Jharsirtoli Motor Road.
(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Mulakot, Gahtora & Jharsirtoli village (s) in Pati Tehsils.
It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.900 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(f) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

जिलाधिकारी
चम्पावत
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र लोहाघाट
तहसील – पाटी / चम्पावत

28/11/15

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

तहसीलदार
पाटी
जनपद–चम्पावत

उपजिलाधिकारी
पाटी
जनपद–चम्पावत

प्रारुप–30.2

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी पाटी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
सी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण –पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पाटी

उपखण्ड लोहाघाट परिक्षेत्र के अर्न्तगत **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** आरक्षित वन भूमि 0.560 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.210+ 0.200 है0 अर्थात कुल 0.970 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पाटी) की दिनांक 10–10–2015 को 1.80 PM सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 कि अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जे0एस0 राठौर, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री जे0एस0 राठौर, उपजिलाधिकारी पाटी – अध्यक्ष
2– श्री महिपाल सिंह सिरोही, उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट – सदस्य
3– श्री एम0डी0 भट्ट, समाज कल्याण अधिकारी पाटी/लोहाघाट – सदस्य/सचिव गोपालसिंह राणा
4– श्री सी0एस0 बोहरा, बी0डी0सी0 क्षेत्र होली पीपल्टी – सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि
"जनपद चम्पावत में **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना हेतु 0.770 है0 + 0.200 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वनधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानो को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड पाटी परिक्षेत्र के अर्न्तगत **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी में काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग से ग्रामसभा गहतोड़ा में झाड़ सिरतोली तक मोटर मार्ग का निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु 0.770 है0 + 0.200 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील पाटी, जनपद चम्पावत

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील...
जनपद...

राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ... तहसील पाटी चम्पावत

तहसीलदार पाटी जनपद-चम्पावत

(गोपाल सिंह राणा) स0 क0 अधिकारी वि0 ख0

उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट

1·6

9

प्रारुप—30.3

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— **जनपद चम्पावत में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण।**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— बरमतोड़ा

तहसील— पाटी, जिला— चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत काठगोदाम खुटानी लोहाघाट पंचेष्वर मोटर मार्ग के गहतोड़ा से झाड़ सिरतोली मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.560 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.210 हे0, मलुवा निस्तारण हेतु 0.200 हे0) अर्थात कुल 0.970 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बरमतोड़ा, द्वारा दिनांक 3—10—2015 को 11.00AM में सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गहतोड़ा, बरमतोड़ा, कापड़ी के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

सावित्रीदेवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गहतोड़ा
वि0ख0— पाटी (चम्पावत)
ह0/
ग्राम प्रधान

1.6

प्रारुप—30.4
प्रपत्र—23.1

दिनांक 03—10—2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बरमतोड़ा 11:00 AM

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री सुभाष चन्द्र	सुभाष चन्द्र
2-	" कैलाश चन्द्र	कैलाशचन्द्र
3.	" शिवदत्त	शिवदत्त
4	" सुरेश चन्द्र	सुरेशचन्द्र
5.	" ईश्वरी दत्त	ईश्वरी दत्त
6	" नवीन चन्द्र	[signature]
7	" मोहन चन्द्र	मोहनचन्द्र
8	" बद्री दत्त	बद्रीदत्त
9	" लीलाधर	लीलाधर
10	" हीरावल्लभ	[signature]
11	" प्रयागदत्त	प्रयागदत्त
12	" महेशचन्द्र	महेशचन्द्र
13	" खिलानन्द	खिलानन्द
14	" देवकीनन्दन	देवकीनन्दन
(15)	" हेतराम	हेतराम
16	" विनोदराम	विनोद राम
17	" ईश्वरीदत्त	ईश्वरीदत्त
18	" गोविन्दवल्लभ	[signature]

19 " जानकी देवी
20 " देवकी देवी

सावित्री देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत गहतोड़ा
वि०ख०- पाटी (चम्पावत)
ग्राम प्रधान